

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक / विभा.जांच / 2020-2021 / 118

भोपाल, दिनांक 10/02/2021

// आदेश //

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 65 (2) का प्रयोग करते हुये म0प्र0 राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम-31 अनुसूची-9 में तृतीय श्रेणी पद संवर्ग तक उल्लेखित अनुशासित तथा अपील प्राधिकारी अपर संचालक निर्दिष्ट है, के दायित्वो का निर्वाहन करने हेतु श्री सुनील कुमार सक्सेना प्रभारी अपर संचालक विभागीय जांच को अधिकृत किया जाता है।

अपर संचालक (विभागीय जांच) को विनियम 30 खण्ड एक से तीन तक में उल्लेखित शास्तियां विनियम 33 में उल्लेखित प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन करते हुये अधिरोपित करने के अधिकार होंगे।

विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये तात्त्विक साक्ष्य व सारवान आधारों को उल्लेखित करते हुये उपयुक्त आदेश जारी किये जावेगा, जिसकी प्रति मंडी बोर्ड मुख्यालय के कार्मिक शाखा, संबंधित कर्मों के आंचलिक व पदस्थी कार्यालय तथा संबंधित कर्मचारी को दी जावेगी। जारी आदेश से सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि हेतु उल्लेख रहेगा।

(प्रियंका दास)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल